

वेदकालीन प्रशासन - एक विहंगम

Meena Rani DG¹ Dr.Santosh Mishra²

¹Research Scholar, Department of Sanskrit, Monad University, Hapur, UP.

²Associate Professor, Department of Sanskrit, Monad University, Hapur, UP

प्रस्तावना :

वेद, लिखित रूप में प्राप्त सर्वप्रथम ग्रंथ हैं, जो मानव और मानव सभ्यता से जुड़े अनेक अंशों को हमारे सामने रखते हैं | वेद, भारतीय सभ्यता, मानव सभ्यता के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं | किसी भी प्रमाण के लिए हम वेदों का आधार ले सकते हैं | मानव समाज का अस्तित्व सदियों से स्थापित है और लोग परिवार, समूह, समाज में जीवन यापन करते हैं | समस्त विश्व को एक परिवार मानते हुए, वेद, "वसुदेव कुटुम्बकम" की घोषणा करते हैं, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है | साथ रहते हुए मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक निश्चित व्यवस्था और नियमों का पालन करते हुए, वे अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं | उनकी मंगल कामना, शुभफल की प्राप्ति के लिए राज्य प्रशासन बनाया गया, जिस में अर्थशास्त्र और न्याय प्रणाली के विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए गए | राज्य और उद्योग की स्वस्थ आर्थिक नीतियां और लोगों की उपयोगिता का आधार वेद, उपनिषद,

भगवद्गीता, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, चार पुरुषार्थों (मानव जीवन के लक्ष्य) के दर्शन में था | ब्रह्मा, जो सभी नीतिशास्त्रों के अग्रदूत थे, अपने नीतिशास्त्र के साथ आए, स्वस्थ प्रशासन से संबंधित अनुशासन को अर्थशास्त्र (राज्य-शिल्प) कहा गया | प्रस्तुत प्रपत्र में मैंने इसी अंश को विस्तार के साथ पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया है |

वैदिक संस्कृति :

मनुष्य भक्ति और विश्वास के साथ भगवान की प्रार्थना करता है और उसका यह विश्वास है कि उसकी प्रार्थनाएँ सुनकर भगवान उस पर कृपा करते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं | वेदों से हमें दैनिक प्रार्थनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और तभी से मनुष्य ने नित्य प्रार्थनाएँ अपनी दिनचर्या में शामिल किया | वैदिक प्रार्थनाएं, "सर्वेजनाः सुखिनो भवन्तु" - से प्रारम्भ होती हैं | मनुष्य की कामना होती है - "हे ब्रह्मांड के निर्माता और सच्चे सुख के प्रदाता ! हमारे सभी दुःखों, दोषों को दूर करो

और जो अच्छा है उसे दे दो; वे निःस्वार्थ होकर समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हैं - "ओ३म सर्वेशां स्वस्ति भवतु | सर्वेशां शांति भवतु | सर्वेशां पूर्ण भवतु | सर्वेशां मंगलम भवतु - सबका कल्याण हो, सब को शान्ति, सन्तोष मिले, सब का कल्याण हो। वैदिक प्रार्थना विश्व व्यवस्था के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए ईश्वरीय सहायता प्राप्त करने के लिए की जाती है। इन प्रार्थनाओं से यह पता चलता है कि वैदिक कालीन समाज अपने आस पास की वस्तुओं, घटनाओं के प्रति कितना सजग होता था। वह धार्मिक, आध्यात्मिक मार्ग का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। तप (तपस्या), यज्ञ (बलिदान), योग और ध्यान करता था। इसके लिए नीतिशास्त्र (नैतिकता का विज्ञान) की एक श्रृंखला को पूरक के रूप में विकसित किया गया। प्रसिद्ध मंत्र "असतो माँ सद्गमय | तमसो माँ ज्योतिर्गमय | मृत्योर्मा अमृतं गमय" में व्यक्त किया गया है - मुझे अवास्तविक से वास्तविक की ओर ले जाएं; अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएं; मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं", उन्हें एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ दिमाग के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया गया, जो अंततः एक स्वस्थ राज्य और अर्थव्यवस्था पर निर्भर था।

वेदकालीन – प्रशासन :

बाहरी आक्रमणों के कारण राजाओं के बीच एकता की भावना कम होती जा रही थी, जिसके कारण राजनीतिक पतन की शुरुआत हुई। उस समय के राजाओं में घृणा, द्वेष की भावना, जैसी बुराइयाँ शामिल थीं, वे मानसिक रूप से संधि करने को तैयार नहीं थे। सैनिकों को भाड़े में रखा जाता था परन्तु वह देश के लिए अनुकूल नहीं था। सामान्य नैतिक नियमों (धर्म) के सिद्धांतों के बजाय आपातकालीन उपायों (आपदधर्म) के सिद्धांतों का उपयोग किया जाने लगा। चतुर और बर्बर आक्रमणकारियों के खिलाफ, यह एक आपदा साबित हुई। उसकी प्रतिक्रिया एक गंभीर प्रतिशोध के रूप में दिखाई देने लगीं। जातिगत भेदों और बाधाओं के कारण गरीबी और अलगाव पैदा हुआ। सामाजिक बंधनों के कारण एकता की भावना ढीली हो गई। ठोस सिद्धांतों पर स्थापित वैदिक समाज के सिद्धांत मध्ययुगीन काल, अशोक, विजयनगर (विद्यारण्य द्वारा स्थापित), मनु, चोल आदि के राज्यों द्वारा अभ्यास किया गया। महान आचार्यों, गुरुओं के साथ-साथ विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने स्थिति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन यह अल्पकालिक था। कुछ हिंदू धर्म की घोर

उपेक्षा के लिए अर्थ और काम की तलाश में देश छोड़ने लगे, लेकिन वे मुसीबतों के भंवर में फंसकर दुःखी हुए। धर्म के सिद्धांतों को सख्ती से लागू करने के लिए आत्म-नियंत्रण आवश्यक था। यदि शांत मन, अच्छी इच्छा, संयुक्त रूप से, काम करें तो बहुत सी चीजें हासिल की जा सकती हैं। आपस में होने वाले मन मुटाव, फूट, वैर, झगड़ों, छोटे-छोटे विवादों को नियंत्रित करने के लिए पंचायत प्रणाली या परिवार, कबीले और गांवों में बड़ों की परिषद विकसित हुए।

सुरक्षा और सुख के सभी कार्यों में धर्म को चार पुरुषार्थों (मानव जीवन के लक्ष्य) में पहला स्थान दिया जाता है - धर्म (नैतिकता, धार्मिकता), अर्थ (सुरक्षा, धन), काम (आनंद) और मोक्ष (मुक्ति)। मोक्ष या मुक्ति को अंतिम स्थान दिया गया है। धर्म (नैतिकता) द्वारा नियंत्रित अर्थ (भौतिक भलाई) और काम (आनंद) एक व्यक्ति को पूरी तरह से परिपक्व और पूर्ण बनाता है, जिसके साथ वह आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के माध्यम से मुक्ति की आकांक्षा कर सकता है।

प्राचीन काल में कोई राजा या राज्य नहीं था और 'राजा' शब्द का अस्तित्व भी नहीं था। सब कुछ धर्म पर आधारित रहता था। "त्रैचाणविक्षिकी चैव भारतर्षभ | दंडनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्रनिरदेसिता|| (महाभारत, शांतिपर्व,

59:33)। इसमें वेदत्रय (तीन वेद) के संबंध में निर्देश शामिल हैं और इसमें ज्ञानकांड, कर्मकांड, कृषि, वाणिज्य और दंड के नियम हैं। इसमें चार अवधारणाएं शामिल हैं - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम में मूल रूप से धर्म से संबंधित एक लाख अध्याय शामिल थे।

उपर्युक्त पुस्तकों में से कोई भी अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन सभी को महाभारत और अन्य पुराणों में उद्धृत किया गया है। उनकी कुछ शिक्षाओं को महाभारत में विदुरनीति और भीष्म-युधिष्ठिर संवाद (संवाद) के रूप में शामिल किया गया है। अधिकांश श्लोक (श्लोक) शुक्राचार्य और विदुर द्वारा लिखे गए थे। उन्हें शुक्रनीति और विदुरनीति के नाम से जाना जाता है।

शुक्रनीति उपलब्ध है, जिस में निम्नलिखित विषयों की जानकारी प्राप्त होती है:

- 1) राज्याकृति अधिकार (सत्तारूढ़ प्राधिकारी)
- 2) युवराज लक्षण (एक राजकुमार के लिए योग्यता)
- 3) नृप-राष्ट्र लक्षण (शासक-राज्य संबंध)
- 4) सुहृदा निरूपण (कल्याण के उपाय)
- 5) कोष निरूपण (राजकोष का निर्माण)

- 6) विद्या और कला निरूपण (शिक्षा और कला बुनियादी ढांचा)
- 7) लोकधर्म निरूपण (सार्वजनिक कानून)
- 8) राजधर्म निरूपण (शासक के कर्तव्य)
- 9) दुर्गा निरूपण (सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण)
- 10) सेना निरूपण (सेना का निर्माण)

अर्थ का अर्थ न केवल किसी व्यक्ति की भौतिक भलाई है, बल्कि सामूहिक रूप से इसका अर्थ है - क्षेत्र को प्राप्त करना और प्रशासन के माध्यम से उसकी रक्षा करना। इसका अर्थ आर्थिक बुनियादी ढांचा भी है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अर्जित करने और उसकी रक्षा करने का अधिकार और अवसर मिलता है। इसमें दंडनीति, न्याय के नियम और दंड संहिता और राजनीतिक प्रशासन की संरचना के अलावा राजनीति, राजसी कर्तव्य और आचरण भी शामिल हैं। रामायण और महाभारत दोनों, जिसमें विदुरनीति भी शामिल है, राजनीति (एक राजा के कर्तव्यों) संबंधित विषयों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसा कि राम ने भरत को, भीष्म ने युधिष्ठिर, विदुर और धृतराष्ट्र को बताया था। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ भी क्षत्रिय धर्म के

विषय के तहत एक ही विषय वस्तु से निपटती हैं।

अर्थशास्त्र पर आधिकारिक सुपरिभाषित कार्य का श्रेय चाणक्य को दिया जाता है जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं जिनका समय ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का है। चाणक्य द्वारा लिखित नैतिकता के विज्ञान (नीतिशास्त्र) का वैदिक समाज और हिंदू जीवन शैली में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने दुर्लभ विशिष्टता, स्पष्टता और विवेक के साथ राजनीति का विकास किया। आज के विश्व की अधिकांश सरकारों द्वारा कूटनीति, नीतियों और नियमों के निर्माण में, हम उन प्राचीन सूत्रों के प्रतिबिंब देख सकते हैं। वह प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान के लेखकों में सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक प्रचलित है।

आज के समय में जो अर्थशास्त्र उपलब्ध है, उसमें निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए पंद्रह अध्याय हैं:

1. राज्य पर शासन करने के लिए राजकुमार की शिक्षा और प्रशिक्षण
2. राज्य या नागरिक प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्य
3. सिविल, क्रिमिनल और पर्सनल लॉ

4. एक मंत्री के कर्तव्य
 5. राज्य में उच्च पद प्राप्त करना
 6. एक आदर्श राज्य के सात घटक - राजा, मुख्यमंत्री, भूमि, गढ़वाली पूंजी, खजाना, सेना और सहयोगी
 7. अन्य राज्यों से निपटने में छह गुना कूटनीति
 8. एक राजा की दिनचर्या और उसके संभावित अनौचित्य
 9. युद्ध की तैयारी और बरती जाने वाली सावधानियां
 10. युद्ध का विवरण
 11. कुलीन वर्गों के प्रति राजनीति (सरकार द्वारा प्रतिपादित)
 12. एक शक्तिशाली राजा के खिलाफ एक कमजोर राजा के समर्थन के साधन (जब पूर्व को बाद वाले द्वारा धमकी दी जाती है)
 13. एक किले पर कब्जा करना
 14. शत्रुओं का सफाया करने के लिए तांत्रिक तकनीकों का प्रयोग
 15. किसी विषय को संभालने के तरीके
- प्राचीन विद्वानों और ऋषियों को भगवद्गीता में उनके द्वारा आश्वासन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के अपने कार्य में

भगवान कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन था: " यदा यदा हि धर्मस्य धर्मसंस्थापनार्थं संभवामि युगे" । चूँकि वैदिक समाज की स्थापना वर्ण धर्म की व्यवस्था पर हुई थी, इसलिए इन धर्मों की रक्षा करना शासकों का सबसे प्रमुख कर्तव्य था । चाणक्य का अर्थशास्त्र एक आदर्श राज्य के लिए प्रशासनिक उपायों से संबंधित है जो उनके कार्यों में परिलक्षित होता है । कृषि, पशुपालन, व्यापार, खनन और विनिर्माण उद्योगों से कर एकत्रित कर राज्य की आय के प्राथमिक स्रोत का वर्णन करता है । पुजारी (पुरोहित), मंत्री (मंत्री), कमांडर-इन-चीफ (सेनापति) और क्राउन प्रिंस (युवराज) ने क्रम में सबसे प्रमुख रैंक रखा । राजा के बाद पुरोहित का विशेष महत्व था । वह राजा को युद्ध सहित सभी मामलों में सलाह देता था । बाद में पुरोहित का कार्य धार्मिक क्षेत्र में अधिक परिभाषित हो गया और मंत्री ने राज्य के धर्मनिरपेक्ष कार्य को संभाला । महल के परिचारकों के प्रमुख और राजा के अंगरक्षकों के प्रमुख को पदानुक्रम में अगला माना जाता था । राज्य के वार्षिक बजट और सामान्य प्रशासन से निपटने वाले प्रशासनिक अधिकारियों में "समाहर्त" और सभी राज्य के राजस्व को संभालने वाले "समिधाता" को महत्व में अगला माना जाता था । विद्वान राजाओं के साथ चर्चाओं में सक्रिय रूप से

भाग लेते थे और ब्राह्मण विद्वानों को आध्यात्मिक मामलों में भाग लेने को कहते थे ।

नागरिक, नगर प्रशासन की देखभाल करते थे, स्थानिक (मंडल अधिकारी) और गोपा (कनिष्ठ अधिकारी) ग्रामीण इलाकों के प्रशासन की देखभाल करते थे । उनका कार्य अभिलेख प्रदान करना, पशु धन से राजस्व एकत्र करना, उपज और अन्य विषयों का हिसाब रखते थे । वे शहर प्रशासन के प्रभारी भी होते थे और उसकी स्वच्छता आदि के लिए भी जिम्मेदार होते थे । गोपों और स्थानिकों के मुख्यालय में नियुक्त प्रदेश के अपराध और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते थे । प्रजा की वफादारी और राज्य के मामलों की जाँच करने के लिए, राज्य के खजाने के दुरुपयोग की जाँच रखने के लिए गुप्त सेवा करते थे । दुश्मन के बारे में गुप्त रूप से तथ्यों का पता लगाने के लिए अच्छी जासूसी प्रणाली भी होती थी ।

राजा अपनी प्रजा के मामलों को अच्छी सलाह के साथ देखता था । धर्मस्थलों, न्यायाधीशों को भी सीमांत, गढ़वाले शहर और गांवों के समूहों के मुख्यालयों पर नियुक्त किया जाता था । मंदिरों, आश्रमों और विद्वान ब्राह्मणों से संबंधित मामलों को अधिक महत्व दिया जाता था । नाबालिगों, बुजुर्गों और बीमारों के मामले, भूमि विवाद, हाथापाई, झूठी गवाही और अपराध

जैसे अन्य क्षेत्र पर न्याय प्रशासन ध्यान देता था । राज्य की रक्षा किले और सेना पर आधारित था । चूंकि किला राजा और प्रजा के लिए एक आश्रय था, इसीलिए हमेशा बहुत से सुरक्षा उपायों के साथ सुसज्जित रहते थे और संकट के समय एक चुनिंदा पलायन मार्ग प्रदान किया जाता था ।

अर्थशास्त्र ने वैदिक सामाजिक संरचना के संरक्षण के लिए न्याय और बाहरी मामलों पर प्रशासनिक कानूनों का विश्लेषण करके निर्धारित किया । वैदिक संस्कृति में व्यक्ति से अधिक राज्य या समाज का महत्व था । इसलिए, कभी-कभी प्रशासनिक नियमों को बनाने में समाज के लाभ के लिए व्यक्तिगत अच्छाई की बलि भी दी जाती थी । आर्थिक नीतियों को धर्म के सिद्धांतों के भीतर काम करना होता था, हालांकि उन सभी का समग्र रूप से पालन करना हमेशा संभव नहीं हो सकता था ।

राज्य की ओर से यह अनिवार्य था :

1. विषयों को अपने बच्चों के रूप में मानें और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करें ।
2. युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, आग आदि संकट के समय में उनकी मदद करें ।

3. वस्तुओं की कीमतों को मॉडरेट करें ताकि लोगों का शोषण न हो ।
4. माल की गुणवत्ता को नियंत्रित करें ।
5. विदेश व्यापार में परिवहन, संचार, सुरक्षा, कर रियायतें आदि के साधन उपलब्ध कराकर व्यापार और वाणिज्य की सहायता करें ।
6. कृषि को हर तरह से सुरक्षित रखें ।
7. लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें ।

इस प्रकार योजना बनाकर, कल्याणकारी राज्य के सभी पहलुओं को लागू किया जाता था ।

निष्कर्ष :

प्राचीन और मध्यकालीन भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी । वैदिक युग में राजा में लोगों द्वारा चुने गए सामाजिक नेता होते थे । वंशानुगत संस्था के रूप में राजा का पद बाद में विकसित हुआ । जब भी व्यवस्था को खतरा या गड़बड़ी हुई तो होती तो, बड़े - बुजुर्ग व्यवस्था बहाल कर देते थे । ग्राम-पंचायत, सभा और समिति, परिषद जैसे विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों ने व्यापक रूप से लोकतंत्र का अभ्यास किया । ऐसे संस्थानों के चुनाव के लिए विस्तृत निर्देश शिलालेखों के कुछ कार्यों में पाए जाते हैं । केंद्र सरकार ने कभी भी स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया । स्थानीय रीति-

रिवाजों और परंपराओं का सम्मान किया गया । न केवल लोगों की बल्कि पालतू जानवरों की भी जनगणना की प्रणाली मौजूद थी । समाज में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए गए क्योंकि यह संस्कृति के विकास और वर्ण धर्म की रक्षा के लिए अनुकूल था । मंदिरों और पूजा स्थलों को सम्मान के साथ देखा जाता था और ईर्ष्या से संरक्षित किया जाता था । विद्वान ब्राह्मणों को अत्यधिक सम्मानित, संरक्षित किया जाता था और जब भी नीतिसात्रों (नैतिक संहिताओं) के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी, उनकी सलाह ली जाती थी । भारत में राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक प्रणालियाँ उस समय की सभ्य दुनिया की तुलना में कहीं बेहतर थीं ।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. **Constitutional Government in India – Prof. M V Pylee**
2. **Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India – Ram Sharan Sharma**
3. **Local Governance in India Decentralization and Beyond – Edited by Niraja Gopal Jayal, Amit Prakash, Pradeep K Sharma**
4. **Hindu reflections – Administration, Economics, Health care and justice promoted by Vedic culture**

5. वेदालयथार्थ स्वरूपं - (तेलुगु) -
वैदिक साहित्य प्रचार समित
6. The Hindu Marriage act
(pdf)- 1955, (Internet)
7. The Sukraniti - Edited by Dr.
Krishna Lal
8. धर्मशास्त्रालो शिक्षा स्मृति -
(तेलुगु) - बी. विट्टल
9. धर्मशास्त्र रत्नाकरं - (तेलुगु) -
अल्लुकूरि मल्लिकार्जुन शास्त्री
10. धर्मम - (तेलुगु) - विवेकानन्द रेड्डी
11. चाणक्य नीति - (हिंदी) - अश्विनी
पराशर
12. मनुवु मानवधर्मालु - (तेलुगु) -
वेमटी लक्ष्मी नारायण मूर्ति
13. मनुस्मृति - (तेलुगु) - नल्लंधिगल
लक्ष्मी नरसिंहाचार्युलु
14. रामायनमु मानव धर्ममु - (तेलुगु) -
मोपी देवी कृष्ण स्वामी
15. मानव धर्म शास्त्रं - (तेलुगु)
- रायप्रोलु रधांगपाणी

